

शोध सार

हिन्दी साहित्य में यौनिकता का विमर्श

हिन्दी साहित्य में यौनिकता का विमर्श नारीवादी दृष्टि कोण को अपने शोध विषय में लिया है इस शोध के पहले अध्याय 'यौनिकता पर एक विचार' के पहले चरण में यौनिकता की समझ को दर्शाया है। यौनिकता की समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है। यौनिकता को स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य में रखकर व्यापकता को समझने का प्रयास किया गया है। यौनिकता के विभिन्न पहलुओं जैसे यौनिकता और स्वास्थ्य, यौनिकता और प्रजनन यौनिकता और सेक्स, यौनिकता और भूमण्डलीकरण के अंतर्गत जोड़कर यौनिकता का अंतर्संबंध को स्थापित किया है। इसके दूसरे चरण यौन अधिकार एवं स्वतंत्रता में स्त्री अधिकारों को यौन अधिकार और स्वतंत्रता से जोड़ कर बात की गयी है। जिसमें प्रागैतिहासिक काल से आज तक के विकास क्रम में यौन अधिकारों को रखकर देखा गया है। ये अधिकार किस सीमा तक महिलाओं तक पहुँचे हैं और महिलाएँ इन अधिकारों का प्रयोग कर सकीं हैं। इन अधिकारों का समाज में कितना सार्थक प्रयोग रहा है समाज और स्त्री के बीच अधिकारों को लेकर जो विरोधाभास रहा है उस विरोधाभास के कारणों का उल्लेख किया गया है। पहले अध्याय की तीसरे चरण में मैंने यौनिकता पर हुयी नारीवादी बहसों को शामिल किया है नारीवादी आंदोलन में यौनिकता की बात कब और कैसे प्रारंभ हुयी और यौन अधिकारों के क्षेत्र में नारीवादी समर्थकों ने कितना प्रयास किया है यौन-अधिकार का अर्थ, समाज, राजनीति से कैसे जुड़ाव है इसके सन्दर्भ में सीमोन, मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट, जॉन स्टुअर्स, निवेदिता मेनन, जैसे नारीवादियों के विचारों और सिद्धान्तों के बीच स्त्री यौनिकता को पारिभाषित करने का प्रयास किया है इस प्रकार मेरे पहले अध्याय का विकासक्रम यौनिकता की समझ से अधिकार और बहस के स्तर तक पहुँचता है।

तीसरे अध्याय में यौनिकता और समाज के अन्तरसंबंध में स्त्री कैसे एक टूल बनती है। यह टूल बनने की प्रक्रिया हमारे धर्म से ही निकली है इस बात को समझने के लिए धर्म ग्रंथों से उदाहरण लिए गये हैं। इस अध्याय के पहले चरण में यौनिकता के मानदण्डों को विश्लेषित किया गया है। इन मानदण्डों में नैतिकता, धर्म, समाज व्यवस्था के बीच स्त्री और सेक्सअलिटी पर बांधिशों का वर्णन किया है। किस प्रकार समाज द्वारा निर्धारित नियम, पवित्रता, धर्म, कर्तव्य, वचन जैसी स्थितियाँ निर्मित करके स्त्री के लिए जाल बुना जाता है और स्त्री इसी समाज में बनाये इन नियमों के घेरे में फँसी रह जाती है। स्त्री के लिए कर्तव्यों का जाल बनाकर उसकी यौनिकता को पापबोध से जोडकर हाशिये पर डाल दिया जाता है। दूसरे चरण में मैंने विवाह और प्रेम में स्त्री यौनिकता को दर्शाया है विवाह संस्था किस तरह से स्त्री के लिए सिर्फ उपयोगिता वादी मानसिकता रखती है। एक वस्तु से ज्यादा हैसियत नहीं होती हैं विवाह किस प्रकार स्त्री की निजता का हरण कर लेता है और स्त्री को यन्त्र संचालित बना देता है। प्रेम जिसे स्वच्छन्द माना जाता है। स्त्री के लिए प्रेम भी एक भावनात्मक बन्धन है जो स्त्री को भ्रमजाल में डालकर उसकी संवेदनाओं से अपनी महत्वकांक्षा को सिद्ध कर लेता है।

आज जिसे हम स्वच्छंद प्रेम मानते हैं इसका दूसरा रूप लिव-इन-रिलेशनशिप है। स्त्री इस रिश्ते में भी सुरक्षित नहीं हैं power of relation का खतरा यहाँ भी बना रहता है तीसरे चरण में मैंने यौन अपराध में समाज की भूमिका को दर्शाया है। हमारा समाज हमेशा दूसरों को ही दोष देता आया है। वर्ग, जाति, समुदाय हर नियम कानून इसी समाज की देन है। यौन अपराध भी इसी समाज में होते है इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है पूरा समाज यौन अपराध के लिए जिम्मेदार है क्योंकि ये अपराध हमारे समाज में पितृसत्तावादी मानसिकता के कारण ही होत है। जिसकी मूल जड़ जेंडर संरचना है इन अपराधों की शुरूआत हमारे घर-परिवार में ही होती है इतने नियम कानून बनने के बाद भी यौन अपराध में लगातार

यौनिकता के विमर्श' को साहित्य में स्थान दिलाने के लिए कुछ संभावना प्रकट की गयी हैं जिसमें यौनशिक्षा और भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हो सकती हैं।

इस लघु शोध में मैंने विश्लेषणात्मक शोध प्रतिधि का प्रयोग किया है विश्लेषण के साथ शोध क्रियात्मक भी रहा है। सिद्धान्तों के परिक्षण के लिए शोध में विवरणात्मक भी रहा है इस शोध में शोध सामग्री के लिए द्वितीयक स्रोत सामग्री का प्रयोग किया गया है जिसमें पत्रिका, साहित्य, इंटरनेट, वार्तालाप, सामूहिक अभिव्यक्ति जैसे स्रोतों का प्रयोग करके लघु शोध को पूर्ण करने का प्रयास किया है।